भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

EW/914/54

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (खंड पीठ) भोपाल.

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :- निगरानी/~~होशंगाबाद~~/2798/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

प्रस्तुत दिनांक :- 25/4/18

(80)

आवेदक अभि. श्री धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 25/4/18

(1)- राकेश जाट आत्मज छीतर जाट जाति जाट, आयु-35 वर्ष,
धंधा कृषि, निवासी ग्राम जाट गुराड़िया तहसील -
सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म.प्र. ------------- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

संध्या मिश्रा पत्नि कैलाश मिश्रा, जाति ब्राम्हण आयु- 54 वर्ष,
निवासी - ग्राम जाटगुराड़िया तह. सिवनीमालवा,
जिला होशंगाबाद म.प्र. ------------- अनावेदिका

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा- 50 मध्यप्रदेश भू राजस्वसंहिता-1959-

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न याचिका प्रस्तुत है :-

" पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह याचिका तहसीलदार सिवनी मालवा के सीमांकन प्रकरण क्रमांक- 3-अ/12 वर्ष-16-17 ग्राम पेटलाखेड़ी तहसील सिवनीमालवा के प्रकरण में पारित सीमांकन आदेश दिनांक-1-6-2017 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर पेश की जा रही है।"

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदिका संध्या मिश्रा पत्नि कैलाश मिश्रा निवासी ग्राम जाटगुराड़िया तहसील सिवनीमालवा के द्वारा अपने नाम की कृषिभूमि ख.नं. - 9/1 रकबा- 1.810 हे. स्थित ग्राम पेटलाखेड़ी पहनं.- 53 तहसील सिवनीमालवा के सीमांकन हेतु एक आवेदनपत्र राजस्व निरीक्षक सिवनीमालवा के कार्यालय मेंप्रस्तुत [illegible] राजस्व प्र.क्र. - 3-अ/12 वर्ष-2016-2017 के रूप में दर्ज होकर [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2798/2018/होशंगाबाद/भू-रा.   जिला - होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिवनी-मालवा जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबितं पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिवनी-मालवा जिला होशंगाबाद न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, होशंगाबाद को भेजा जाता है। कलेक्टर, होशंगाबाद प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	